भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3811

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों अल्पसंख्यकों की भागीदारी

†3811 मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या प्रतिनिधित्व संबंधी मानदंड़ों को प्रभावी ढ़ग से लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्षित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए है; और

(घ) इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, भाग IX के अनुच्छेद 243D में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, साथ ही, इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार से आरक्षित हों जैसा कि राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाए। सीटों और अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य पंचायती राज अधिनियमों में शामिल किया गया है।

असम की राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, 'असम पंचायत अधिनियम, 1994' में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों - अर्थात् ग्राम पंचायत (धारा 9), आंचलिक पंचायत (धारा 34) और ज़िला परिषद (धारा 66) - पर अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षित सीटों की संख्या, जहां तक संभव हो, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में वही होगी, जैसा कि संबंधित पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी। आरक्षित सीटें उक्त राज्य अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएंगी।

असम राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, असम राज्य में आरक्षण के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

(ग) और (घ): 'पंचायत', "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का भाग है। तदनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण के लक्षित कार्यक्रम और उनके परिणाम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी हैं। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक केंद्र-प्रायोजित योजना लागू की है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग देना है। इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों (जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य हितधारक भी शामिल हैं) को प्रशिक्षण देकर उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित की जाती है, ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

असम राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक (10.07.2026 तक) के दौरान संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक समुदाय
2022-23	20,778	38,296	593
2023-24	33,476	47,654	699
2024-25	12,498	25,441	113
2025-26	18,410	22,761	121
2026-27*	163	328	-

*(10.07.2026 तक)
